FAX / अतिआवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या- 16 /2014 दिनाँक लखनऊ:मार्च 11 ,2014

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

विषय:-द0प्र0सं0 के विधिक प्राविधानो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस0 जमानती प्रार्थना पत्र संख्या-3419/2014 शिव चन्द बनाम उ0प्र0 राज्य जो अपराध संख्या-539/2013 अन्तर्गत धारा 302/201 भा0द0सं0, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर के सम्बन्ध में दिनांक 05.02.2014 को आदेश पारित किया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"Probably, the police establishment of Uttar Pradesh appears above the provisions of the Cr.P.C. and acts as if it were never supposed to fulfill its legal obligation which is cast over it by virtue of section 154 Cr.P.C. and other provisions like section 157 of that chapter relating to the rules of investigating a cognizable case. This simply appears astonishing as to how none has been paying any attention to these facts when the Constitution Bench of the Supreme Court has held that even if there was none named in a case, cognizable offence has to be registered by drawing up a first information report. Should the Court believe that Cr.P.C. is not applicable to the State of U.P. and the police authority has a free hand to run its establishment and do whatever they want to do disrespecting the provisions of the Cr.P.C.."

दण्ड प्रक्रिया संहित-1973 की धारा 154, 155, 156, 157 में पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियॉ दी गई है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपर्युक्त धाराओं का पुलिस द्वारा कियान्वयन न किये जाने से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह तथ्य अंकित किये है। **संज्ञेय अपराधो में पुलिस का यह दायित्व है कि अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिये सशक्त है।**

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्राविधानों/शासनादेशो/परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

11/03/14

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-1-श्री अखिलेख सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2-अनुभाग अधिकारी, क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन सेक्शन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3-पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2014 के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई शिथिलता के सम्बन्ध में जाँच कराकर कार्यवाही कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।